(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

राधेश्याम बनाम शंकरलाल व अन्य

किस्म मुकदमाः– 212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–312/2022 GCMS:-2022/61

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.12.2025	वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के नाम से वाके तहसील सूरतगढ़ की रोही बछरारा के खाता संख्या 161/141 के खसरा संख्या 293 में 6.728 हैक्टर बारानी दोयम भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि यानि 3.364 हैक्टर बारानी भूमि दर्ज रिकार्ड है व रोही बछरारा के खाता संख्या 124/116 की 29.125 हैक्टर भूमि में से 1/10 हिस्सा यानि 2.9125 हैक्टर बारानी दोयम भूमि इस प्रकार दोनों खाता की कुल 6.276 हैक्टर खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य घरू बंटवारा हुआ है। घरू बंटवारा के मुताबिक घरू बंटवारा हुआ हैं। घरू बंटवारा के मुताबिक रोही बछरारा के खसरा संख्या 293 का दक्षिणी पासा में पूर्व से पश्चिमी लम्बाई में प्रार्थी का प्राप्त हुआ है व उत्तरी पासा में पूर्व से पश्चिमी पासा लम्बाई में अप्रार्थी संख्या 01 को प्राप्त हुआ है। इसी अनुसार कब्जा काश्त है। घरू बंटवारा के मुताबिक रोही बछरारा के खाता संख्या 124 के खसरा संख्या 231 में ट्यूबवैल लगा हुआ है। इसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि को मेहनत कर काबिल काश्त बनाया है। समतल व उपजाउ किस्म की भूमि को देखकर अप्रार्थी–01 के मन में बदयन्ती आ गई है। वह प्रार्थी की सुधारी हुई भूमि पर अतिक्रमण करने की फिराक में है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.10.2022 को जारी टी0आई0 को वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावे। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–01 संयुक्त खाता के अंकित खातेदार है। प्रार्थी ने मौखिक कथन किया है कि घरू बंटवारा हुआ है। किन्तु प्रार्थी ने घरू बंटवारा का कोई लिखित साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है। संयुक्त खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश उक्त प्रकरण में दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर दाखिल दफ्तर करने का आदेश दिया जाता है। नंबर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2025.12.29 12:19:10 IST Reason: SelfAttested (भरत ... प्रकाश मीना) उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	